न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 50/2013

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
01.बी,पारसमल पुत्र स्व0 श्री भीमकचन्द कवाड 02.सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री भीमकचन्द कवाड 03.अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री भीमकचन्द कवाड 04.बसन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री भीमकचन्द कवाड 05.दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री भीमकचन्द कवाड जाति ओसवाल कवाड निवासी सालावास तहसील लूणी।		01.बुद्वाराम पुत्र श्री नारायणराम जाति जाट निवासी हनुमान चौक जाटो का बास सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।
01.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता बाकाराम चौधरी उपस्थित।
02.अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुचना के बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 9/9/2024

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी स्वामित्व कब्जासुद्वा उपयोग व उपयोग की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 333 रकबा 14 बीधा 1 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 334 रकबा 15 बीधा 7 बिस्वा कुल दो खसरान् की 29 बीधा 8 बिस्वा वाके ग्रा सालावास रेलवे स्टेशन पटवार हल्का सालावास तहसील लूणी मे आई हुई है। उक्त खसरान् की कृषि भूमि के प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामी है और राजस्व रेकर्ड मे सभी का नाम विधिवत रूप से दर्ज है उक्त कृषि भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है और सभी का शामलाती कब्जा उपयोग एव आधिपत्य है उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। अप्रार्थी प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 333 के पश्चिम दिशा मे आए हुए खसरा नम्बर 332 मे स्थित रोड/आम रास्ते की तरफ आए हुए उत्तरी दिशा कोने के एक भूखण्ड का खरीददार है यानि अप्रार्थी प्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा नम्बर 333 के पश्चिम दिशा मे आए हुए खसरा नम्बर 332 के एक भूखण्ड संख्या 1/बी का अपने आपको मालिक बतलाता है अप्रार्थी का प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 333 अथवा उसके किसी भाग मे कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है और न ही किसी तरह का कोई लेना देना है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 333 व 334 के चारो तरफ विधिवत कब्जा है और माठ बनाकर हदबदी की हुई है लेकिन अप्रार्थी की नीयत व बद्नियती होने के कारण उसने दिनाक 24.04.2012 को प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 333 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर यानि रोड की तरफ की उत्तरी पश्चिमी कोने की जमीन पर मजदूर लगाकर प्रार्थीगण की बनी हुई माठ को तुडवाना शुरू कर दिया इसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण मौके पर गए और अप्रार्थी व उसके मजदुरो को बनी हुई माठ को तोडने से मना किया एव कहा कि यह तो प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 333 हदबदी की माठ है इसलिए अप्रार्थी को इसे तुडवाने को कोई अधिकार नही है प्रार्थी गण के समझाने के उपरान्त भी अप्रार्थी नही माना अपनी हठधर्मिता पर अडा रहा और प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 333 की उत्तरी पश्चिम कोने की माठ को तुडवा दिया प्रार्थीगण द्वारा ज्यादा कहने पर अप्रार्थी प्रार्थीगण से लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया और प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह तो प्रार्थीगण की उत्तरी पश्चिम कोने की जमीन को अपने भूखण्ड मे मिलाकर रहेगा उसका कोई कुछ नही बिगाड सकता इसके उपरान्त मौजीज व्यक्तियो द्वारा समझाने पर अप्राथी अपने मजदूरो को लेकर वहा से लेकर चला गया। इसके उपरान्त दिनांक 25.06.2013 को अप्रार्थी फिर से मजदूरो को लेंकर मौके पर आया और प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 333 की रोड की तरफ की उत्तरी पश्चिम कोने भूमि को अपने भूखण्ड मे मिलाने के लिए खड्डे

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
लूणी

खुदवाने लगा। इसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण मौके पर गए और अप्रार्थी को ऐसा करने से मना किया लेकिन अप्रार्थी नही माना और प्रार्थी गण से लडाई झगडा व गाली गलोच करने करने लगा। प्रार्थीगण के उनके साथ आए मौजीज व्यक्तियो ने प्रार्थीगण को समझाने का काफी प्रयास किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह तो प्रार्थीगण के खेत के उत्तरी पश्चिम हिस्से की कुछ जमीन पर कब्जा करके अपने भूखण्ड मे मिल लेगा व चारदीवारी बनवा देगा प्रार्थीगण व मौजीज व्यक्तियो द्वारा काफी समझाईश करने पर उस समय तो अप्रार्थी मोके पर से चला गया लेकिन जाते जाते प्रार्थीगण को यह धमकी देकर गया कि वह तो इस जमीन को अपने भूखण्ड मे मिलाकर रहेगा उसका कोई कुछ नही बिगाड सकता। अप्रार्थी गलत व गैरकानूनी तरीके से प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 333 के उत्तरी पश्चिमी कोने की रोड/आम रास्ते की तरफ आई हुई भूमि पर कब्जा कर उसे अपने भूखण्ड मे मिलाने व चारदीवारी बनवाने पर आमादा है जिसका उसे किसी तरफ कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी को प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 333 के उत्तरी पश्चिमी कोने की यानि रोड की तरफ आई हुई भूमि पर कब्जा करने उसको अपने भूखण्ड से आगे बढकर अपने भूखण्ड मे मिलाने प्रार्थीगण की भूमि पर निर्माण कार्य य चारदीवारी बनवाने का किसी तरह का कोई अधिकार नही है प्रार्थीगण को ही अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भविष्य मे कभी भी क्षतिपूर्ती नही हो सकेगी तथा प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया मूल वाद भी निरर्थक मात्र रह जायेगा ऐसी स्थिति मे प्रमाणित है कि सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष मे है तथा मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड एव मौके की स्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता महेश मेहता द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया जिस पर सुना गया ।

अप्रार्थी अधिवक्ता को बहस वास्ते अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नही।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 333 रकबा 14 बीधा 1 बिस्वा पर अप्रार्थी को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया गया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वय करे न अन्य किसी से करावे तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त कब्जा काश्त भूमि मे अप्रार्थी सख्यां 01 को मूल वाद तक पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक दखल अन्दाजी ना स्वंय करे तथा ना ही अन्य किसी से करावे एव राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाय रखे जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्रया मामला एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थी ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है जिसको मूल वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि विवाद ग्रस्त कृषि भूमि ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा नम्बर 333 रकबा 14 बीधा 1 बिस्वा मे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करे एव न ही उक्त खसरान की कृषि भूमियो को खुर्द –बूर्द इत्यादि नही करे आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी